

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) **श्री सत्य**

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

प्रेमराज

बनाम

श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

दावा बाबत **नाम डुरेली U.I.S 88 RTA**

मुकदमा नम्बर :- **76 / 2022**

निर्णय दिनांक :- **20.05.2022**

वादी की ओर से **श्री सत्य** की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **20.05.2022** को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - **दावा वादी**

श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. को शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस

उपरोक्त सभी व्यय वादी को उठाने की व्यवस्था करनी है।

यह आज तारीख 20.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(**श्री सत्यनारायण**)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस
जोड़	जोड़



नाबल 978
20.05.2022